<u>वित्तीय स्वीकृति-जनपद-लखीमपुर खीरी</u>

<u>संख्या-28/2018/42/52-4-18-सा(2)/2015(बहराइच)</u>

प्रेषक,

दीनानाथ,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 21 मार्च, 2018

विषय-अल्पसंख्यकों हेतु शैक्षिक सहभागिता एवं उन्नयन योजनान्तर्गत जनपद-लखीमपुर खीरी में बालक एवं बालिकाओं हेतु एक-एक मॉडल इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने के लिए आवंटित किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3284/अ0सं0क0नि0/शै0हब/2017, दिनांक 06.11.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयांकित योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-1568/52-3-2016-सा(2)/2015(लखीमपुर खीरी), दिनांक 20.05.2016 द्वारा जनपद-लखीमपुर खीरी में दो मॉडल इण्टर कालेजों के निर्माण हेतु प्रति कालेज रू0-302.00लाख की दर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि रू0-151.00लाख प्रति कालेज की दर से जनपद के दो कालेजों के लिए प्रथम किश्त की कुल धनराशि रू0-302.00लाख अवमुक्त की गयी थी।

2- तदक्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब योजना हेतु रू0-1000.00लाख (रू0 दस करोड मात्र) का पूंजीगत आय-व्ययक प्राविधान उपलब्ध कराया गया है। अत: जनपद-लखीमपुर खीरी हेतु उपरोक्तानुसार स्वीकृति दो मॉडल इण्टर कालेज के लिए द्वितीय किश्त के रूप में रू0 151.00 लाख प्रति कालेज की दर से कुल रू0 302.00 लाख (रू0 तीन करोड दो लाख मात्र) की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है:-

(i) मॉडल इण्टर कालेजों के निर्माण हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि जिलाधिकारी-लखीमपुर खीरी के निवर्तन पर रखी जायेगी, जिसे उनके द्वारा शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ii) मॉडल इण्टर कालेजों का निर्माण माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा मानकीकृत स्टीमेट एवं डिजाइन के अनुरूप कराया जायेगा।

(iii) निर्माण कार्यहेतु एक समयसीमा निर्धारित की जायेगी तथा निर्धारित समयसीमा के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में "लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-800-अन्य व्यय-05-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउददेशीय शैक्षणिक हब की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें" डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय

(दीनानाथ)
उप सचिव।

संख्या- /42(1)/52-4-18-सा(2)/15तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/,द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/,द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
6- जिला विद्यालय निरीक्षक, लखीमपुर खीरी।
7- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
8- निदेशक, उ0प्र0 सी0 एण्ड डी0एस0, लखनऊ।
9- कोषाधिकारी, जवाहन भवन, लखनऊ।
10- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11/नियोजन अनुभाग-3/अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)/बजट सहायक/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(दीनानाथ)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in